190

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3335—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—08—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 195/अपील/2013—14.

.....

1—गणेश पुत्र श्री लोहरे
2—ज्वाला प्रसाद पुत्र श्री गोरीशांकर
3—हरि विलास पुत्र सूखा
4—दक्खो पत्नी श्री हरिवलास
समस्त निवासीगण ग्राम घोंधा
तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—नकटू पुत्र श्री लोहरे
2—मुंशी पुत्र श्री लोहरे
समस्त निवासीगण ग्राम घोंधा
तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री विनीत वर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—08—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा को जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि ग्राम टिडावली में भूमि सर्वे कमांक 90 रकवा 2.320 है0 अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि है, पर आने जाने का रास्ता न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–13/2012–13 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 11.6.13 से निगरानीकर्तागण के खेतों की मेड़ों पर आने जाने का रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 3.7.14 से निरस्त की गई, उससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 13.8.15 से निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर जिला मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर ग्राम टिडावली में भूमि सर्वे कमांक 90 रकवा 2.320 है0 पर आने जाने तथा हल बैल व कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिये आवेदकगण की भूमि की मेड़ो से होकर 20 वर्ष पूर्व से इस्तेमाल करता चला आ रहा है। अब आवेदकगण द्वारा रास्ता बंदकर दिये जाने से अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय को भेजा गया। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण कराया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.2.12 को मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान पंचगणों द्वारा बताया गया कि लगभग 20 वर्षो से अनावेदक अपने खेतों पर सर्वे कमांक 95, 98, 91, 93, व 97 की मेड से होकर निकलता आ रहा है। अब 2 वर्षो से निकलने वाले रास्ते को आवेदकगण द्वारा मेड़ों को जोतकर खोतों में मिला लिया है तथा वे खेतों पर आने जाने से रोकते है। अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में आने जाने का यही प्राचीन मार्ग बताया गया है जिसे अपीलार्थीगण द्वारा रोक दिया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.6.13 एवं अनुविभागीय

अधिकारी जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.7.14 अपर आयुक्त द्वारा विधिसम्मत एवं न्यायोचित माना गया है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं" ।**

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 195/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.8.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर